उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
U. P. Power Corporation Ltd.

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन 14–अशोक मार्ग,
लखनऊ ।

संख्याः 34 –विनियम एवं औस/पाकालि/11–9–विनियम/2001 टी0सी0 दिनांकः 24.06.2011

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद मुख्यालय लिपिकीय कर्मचारी सेवा विनियमावली 1969 (यथा संशोधित) के पार्ट–।।। : रिक्रूटमेन्ट, के विनियम–5 एवं 11(1)–ए– मिनिस्टीरियलः क्लास–।।। में संशोधन हेतु जारी किये गये कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–21–विनियम एवं औस/पाकालि/11–9–विनियम/2001 टी0सी0, दिनांकः 09.05.2011 के निम्न स्तम्भ–1 में अंकित वर्तमान प्राविधानों को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल के कार्योत्तर अनुमोदन की प्रत्याशा में आंशिक रूप से संशोधित कर स्तम्भ–2 में अंकित प्राविधानों से एतद्द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :–

स्तम्भ–1 वर्तमान प्राविधान Part-III : Recruitment विनियम : 5 एवं 11(।) A-Ministerial : Class-III		स्तम्भ–2 प्रतिस्थापित प्राविधान Part-III : Recruitment नियम : 5 एवं 11(।) A-Ministerial : Class-III	
पदनाम, भर्ती का स्रोत/ प्रतिशत	शैक्षिक अर्हता	पदनाम, भर्ती का स्रोत/ प्रतिशत	शैक्षिक अर्हता
कारपोरेशन का कार्यालय ज्ञाप संख्या–21–विनियम एवं औस/पाकालि/11–9–विनियम /2001 टी0सी0, दिनांकः 09.05.2011			
2. सहायक समीक्षा अधिकारी 2–2 कम्प्यूटर सहायक एवं कनिष्ठ श्रेणी लिपिक पद से प्रोन्नति द्वारा निम्न अनुपात में :– 1) कम्प्यूटर सहायक से–90 % 2) कनिष्ठ श्रेणी लिपिक से–10 % } 40% (विशेष परिस्थितियों में निदेशक मण्डल के आदेश से 20 % तक)	कम्प्यूटर सहायक /कनिष्ठ श्रेणी लिपिक के पद पर न्यूनतम 05 वर्ष की कार्यकारी सेवा एवं DOEACC का 'O' लेवेल कम्प्यूटर प्रमाण पत्र।	2. सहायक समीक्षा अधिकारी 2–2 कनिष्ठ श्रेणी लिपिक पद से प्रोन्नति द्वारा 40 %	कनिष्ठ श्रेणी लिपिक के पद पर न्यूनतम 05 वर्ष की कार्यकारी सेवा

----2

3. कम्प्यूटर सहायक पे बैण्ड–1 (रू0 5200–20200 + ग्रेड पे–2600) 1. सीधी भर्ती–70 % (परिशिष्ट–1 में निहित योग्यता परीक्षा के अनुसार) 2. सम्प्रति कनिष्ठ श्रेणी लिपिक से प्रोन्नति द्वारा – 30 %। इनकी संख्या अधिक होनेपर सीधी भर्ती का प्रतिशत तद्नुसार उस वर्ष कम हो जाएगा।	1–माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 से इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। 2– DOEACC का 'O' लेवेल कम्प्यूटर प्रमाण पत्र। 3–कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 40 श0प्र0मि0 की गति तथा अंग्रेजी टंकण को अधिमान्यता। कनिष्ठ श्रेणी लिपिक के पद पर न्यूनतम 05 वर्ष की कार्यकारी सेवा। परन्तु यदि पर्याप्त संख्या में पात्र या उपयुक्त कार्मिक पदोन्नति के लिये उपलब्ध न हो तो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ श्रेणी लिपिक जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस के इस रूप से तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, को सम्मिलित करने के लिए पात्रता के क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है।	विलोपित	विलोपित
4. कनिष्ठ श्रेणी लिपिक पे बैण्ड–1 (रू0 5200–20200 + ग्रेड पे–2200) 1. मृत सरकारी सेवक आश्रितों की भर्ती विनियमावली–1975 के उपबन्धों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा। 2. सम्प्रति चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों से संगत विनियमावली के प्राविधानानुसार प्रोन्नति द्वारा।	1–माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 से इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। 2–DOEACC का 'CCC' प्रमाण पत्र। 3–कम्प्यूटर पर	4. कनिष्ठ श्रेणी लिपिक पे बैण्ड–1 (रू0 5200–20200 + ग्रेड पे–2200) 1. मृत सरकारी सेवक आश्रितों की भर्ती विनियमावली–1975 के उपबन्धों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा। 2.सम्प्रति चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों से संगत विनियमावली के प्राविधानानुसार प्रोन्नति द्वारा।	1–भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातम की उपाधि अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि। 2– DOEACC का 'CCC' प्रमाण पत्र। 3–कम्प्यूटर पर हिन्दी

	हिन्दी टंकण में न्यूनतम 40 श0प्र0मि0 की गति तथा अंग्रेजी टंकण को अधिमान्यता।		टंकण में न्यूनतम 40 श0प्र0मि0 की गति तथा अंग्रेजी टंकण को अधिमान्यता।

2. कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–21–विनियम एवं औस/पाकालि/11–9–विनियम/2001 टी0सी0, दिनांक: 09.05.2011 एवं संगत विनियमावली के अन्य प्राविधान यथावत् लागू रहेगें।

<u>अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक</u>

संख्या: 34 (1) विनियम एवं औ0सं0/पाकालि/11–तद्दिनांक: 24/6/11

प्रतिलिपि कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित:–

1– प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2– अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के सलाहकार।
3– संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड/उ0प्र0 राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
5– समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6– प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/मध्यांचल/ पश्चिमांचल/ दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा एवं केस्को, क्रानपुर।
7– मुख्य अभियन्ता एवं अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड/उत्पादन निगम लिमिटेड, लखनऊ।
8– समस्त मुख्य अभियन्ता, (स्तर–1/2), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
9– कार्यकारी अपर सचिव– प्रथम/अपर सचिव–द्वितीय/ तृतीय/अराजपत्रित/महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/सलाहकार (औस/काविनी), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
10–कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
11–अधिशासी अभियन्ता (वेब साइट), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेब साइट पर लोड किये जाने हेतु।

24/6/11

(जावेद अहमद)
अनुसचिव (विनियम)